



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक:-1432 /12-1 दिनांक: देहरादून 24 जनवरी, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/21335/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून EDS दिनांक 31.03.2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की EDS दिनांक 31.03.2021 के क्रम में चाही गयी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 480/12-1 दिनांक 28.08.2021 एवं पत्रांक 1480/12-1 दिनांक 18.01.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र.सं	आपत्ति	आख्या
1	On perusal of kml file of the proposed area, it has been noticed that the proposed alignment is not connecting any habitation. state government may justify the requirement of the road.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के क्रम में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-1)।
2	It is seen that 2.185 ha. area in forest land selected for muck disposal only. State Government may explore some non-forest area for this purpose.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के क्रम में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-2)।
3	Detail of alternative alignment not provided at para D (ii) (a) in Part I. State Government may upload the details of the alternative explored for this project at para D (ii) (a) in Part I	CF has informed that it has been rectified & uploaded in part-I at appropriate place.
4	CB analysis submitted in old format. State Govt. may upload and submit the Cost benefit analysis as per prescribed formats quantifying all parameters in monetary terms.	CF has informed that it has been rectified & uploaded in part-I as Additional Information. New CB analysis has been annexed (संलग्नक-3)।
5	It is seen from the proceedings of District level committee meeting 1.525 ha. area is mentioned instead of 7.152 ha. in the DLC meeting proceedings. Further date is also not mentioned. State Govt. may submit clarification in this regard and submit the correct document.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि याचक विभाग द्वारा डी०एल०री० प्रपत्र में क्षेत्रफल को 1.52 है० के स्थान पर 7.152 है० इंगित कर दिया गया है। उक्त प्रपत्र की प्रति भाग-1 में अतिरिक्त सूचना के क्रमांक-09 में अपलोड किया जा चुका है एवं प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-04)
6	Unsigned sub-Divisional Level committee meeting proceedings of Dunda found uploaded. State Govt. may upload the signed copy of the same.	CF has informed that it has been rectified & uploaded in part-I at appropriate place.
7	CA area written in Part I and II are 24.439 ha. however the required area should be 14.304 ha. State Govt. may submit clarification in this regard.	CF has informed that it has been rectified.
8	It is seen that KML file of 9.70 ha. area found uploaded instead of 14.304 ha. CA area. State Govt. may upload the CA area of 14.30 ha.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विषयगत परियोजना स्थल उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट अन्तर्गत विद्यमान है। जिस कारण उक्त

		परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 है0 तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.4 है0 अर्थात् कुल 14.304 है0 चयनित किया गया है।
9	As per DSS analysis 1.0 ha. area found in MDF. State Government may submit a field inspection report of DFO regarding the suitability of the area for plantation as per the guidelines. The State Government should also submit the species-wise and girth-wise list of trees present in the proposed for CA. In case the area is having density as per DSS then the DFO may proposed additional degraded forest land in proportion which can accommodate required number of saplings as per CA scheme.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट अन्तर्गत विद्यमान है जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 है0 तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.4 है0 अर्थात् कुल 14.304 है0 चयनित किया गया है। अतः आपत्ति से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1.00 है0 MDF किस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रहा है, कृपया उक्त क्रम में स्पष्ट करने की कृपा करें, तत्पश्चात ही आपत्ति का निराकरण किया जाना सम्भव हो पायेगा।
10	Wild life management plan of Rs. 3690000.00 found uploaded in Part II. State Govt. may ensure that no payment will be received from the user agency in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि Wild life management plan हेतु प्रस्तावित धनराशि 36,90,000.00 याचक विभाग से प्राप्त नहीं की गयी है।
11	Only 3 muck dumping sites selected for 9 Km. length road. State Govt. may submit the clarification in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के क्रम में याचक विभाग द्वारा उपयोगिता/औचित्य प्रमाण पत्र पार्ट-I के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है (संलग्नक-5)।
12	State Govt. is requested to submit detailed muck disposal plan.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि Muck disposal plan संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-6)।
13	State Govt. is requested to submit reclamation plan.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि Reclamation plan संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-7)।
14	It is seen from the Part IV of the Proposal that Nodal office has submitted that only 345 trees are proposed for enumeration. however details of 667 trees found uploaded. State Govt. may submit the clarification in this regard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना स्थल दो प्रभागों के निम्न रेंजों के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिनमें वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है— 1 धरासू रेंज (उत्तरकाशी) कुल पेड़ों की सं 322 2 नौगाव रेंज (बड़कोट) कुल पेड़ों की सं 345 इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित कुल पेड़ों की सं 667 है।

संलग्नक-यथोपरि।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्रांक 1432 /12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।


(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।